न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– सरोज ढाका, आर०ए०एस०

रण संख्या : 3/18

1 महावीर प्रसाद आत्मज श्री भोलूलाल, जाति रेगर, निवासी मकान नम्बर 1032, विनोबा भावे नगर, कोटा

– (वादी)

बनाम

1 मुरारीलाल मेहरा पुत्र घनश्याम मेहरा, जाति मेहर, निवासी रामगंजमण्डी, जिला कोटा

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति : श्री दुर्गाराम सेन, वादी अभिभाषक

दिनांक : 19.03.2019

निर्णय

वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में खाता संख्या नया 257 पुराना 680 की आराजी खसरा नम्बर 1637 रकबा 1.28 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी में राजस्व रिकार्ड में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/2 हिस्सा निहित व दर्ज खाता है। वादी उक्त आराजी में 1/2 हिस्से पर दिशा दक्षिण हिस्से पर काबिज काश्त है तथा बिना किसी रूकावट के अपनी उक्त हिस्सा आराजी को काश्त करता चला आ रहा है जिसकी प्रतिवादी नं. 1 को भी पूर्ण जानकारी है। उक्त खाता संयुक्त होने से लगान पिलाई करता आदि जमा करवाने में काफी कठिनाईयां होती है तथा भूमि के डवलपमेन्ट करवाने में किसी प्रकार की कोई अडचने पैदा नहीं हो।

वादी ने प्रतिवादी नं. 1 से कई बार उक्त आराजी का पृथक खाता लगान कर्ता कायम करवाने के लिये कहा लेकिन प्रतिवादी हर बार टालमटूल करता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादी से अन्तिम बार दिनांक 31.12.2017 को उक्त आराजी का नियमानुसार कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा आराजी करवाने के लिये कहने पर तथा उसके द्वारा इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ जो लगातार है।

अतः प्रार्थना है कि वादी द्वारा प्रस्तुत विभाजन आराजी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का निर्णय एवं डिक्री सादिर फरमाई जावे कि उपरोक्त आराजी ग्राम मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1637 रकबा 1.28 हैक्टर आराजी का वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 के मध्य राजस्व रिकार्ड 1/2, 1/2 हिस्सा अनुसार बंटवारा किया जाकर वादी को उक्त बंटवारे में उसके कब्जे काश्त की आराजी दिशा दक्षिण की ओर की 1/2 हिस्सा आराजी दी जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक खाता लगान कायम किया जावे तथा नक्शा ट्रेस में भी उक्तानुसार दुरूस्ती की जाकर पृथक नक्शा बनाया जावे। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में ग्राम मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की नकल जमाबन्दी संवत 2073–2076 (प्रदर्श–1) पेश की गई है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

दावा पेश होने के पश्चात दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की जर्ये सम्मन तामील करवाई गई। प्रतिवादी क्रम 1 अथवा उसके अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने तथा जवाब नहीं देने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण के बहस में आने पर वादी वकील की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वादी वकील की एकपक्षीय बहस के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया जिसके अनुसार स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 विवादित आराजी के रिकोर्डेड खातेदार है, जिसमें वादी व प्रतिवादी क्रम 1 का 1/2, 1/2 हिस्सा अंकित है। अतः वाद वादी स्वीकार कर ग्राम मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1637 रकबा 1.28 हैक्टर का वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 के मध्य 1/2, 1/2 हिस्सा पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। प्राथमिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को आदेश एवं डिक्री की प्रति की भिजवाते हुये metes and bounds के आधार पर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन प्रस्ताव हेतु पत्र जारी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सरोज ढाका) R.A.S.
सहायक कलक्टर (मु.) एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

MahaveerPrasad.MurariLal

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – सरोज ढाका, R.A.S.

बउनवान :–

1 महावीर प्रसाद आत्मज श्री भोलूलाल, जाति रेगर, निवासी मकान नम्बर 1032, विनोबा भावे नगर, कोटा

– (वादी)

बनाम

1 मुरारीलाल मेहरा पुत्र घनश्याम मेहरा, जाति मेहर, निवासी रामगंजमण्डी, जिला कोटा
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 53 RTA
मुकदमा नम्बर : 3 / 18
निर्णय दिनांक : 19-03-2019

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री दयाराम सेन की उपस्थिति में आज तारीख 19–03–2019 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती सरोज ढाका, आर.ए.एस. के अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी स्वीकार कर ग्राम मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1637 रकबा 1.28 हैक्टर का वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 के मध्य 1/2, 1/2 हिस्सा पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। प्राथमिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को आदेश एवं डिक्री की प्रति की भिजवाते हुये metes and bounds के आधार पर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन प्रस्ताव हेतु पत्र जारी करें।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह प्राथमिक डिक्री आज तारीख 19.03.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सरोज ढाका) R.A.S.
सहायक कलक्टर (मु.) एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

वाद के खर्चे

	वादी	रूपया		प्रतिवादी	रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

MahaveerPrasad.MurariLal

Scanned by CamScanner

फाईनल डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – सरोज ढाका, R.A.S.

बउनवान :–

1 महावीर प्रसाद आत्मज श्री भोलूलाल, जाति रेगर, निवासी मकान नम्बर 1032, विनोबा भावे नगर, कोटा

– (वादी)

बनाम

1 मुरारीलाल मेहरा पुत्र घनश्याम मेहरा, जाति मेहर, निवासी रामगंजमण्डी, जिला कोटा

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 53 RTA

मुकदमा नम्बर : 3/18

निर्णय दिनांक : 24-04-2019

इस न्यायालय के निर्णित प्रकरण संख्या 3/18 बउनवान महावीर प्रसाद मुरारीलाल के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.03.2019 की पालना में तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा से (वर्तमान राजस्व अभिलेख अनुसार) प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अभिभाषक की अनापत्ति प्राप्त होने पर ग्राम मण्डाना, पटवार हल्का मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1637 रकबा 1.26 हैक्टर का निम्नानुसार अलग–अलग खाते में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर नक्शा तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	दिशा
1	मुरारीलाल मेहरा आत्मज घनश्याम मेहरा, जाति मेहर, निवासी रामगंजमण्डी, कोटा	1637	0.63 हैक्टर	उत्तरी
	योग	**किता 1**	**0.63 हैक्टर**	
2	मोहनलाल वर्मा पुत्र रामप्रकाश रेगर, जाति रेगर, निवासी रविदास निंदड मोड हरमाडा, जयपुर, हिस्सा 1/2 हिमांशु सुनारीवाल पुत्र रामचन्द सुनारीवाल, जाति रेगर, निवासी 141, उषा कोलोनी, एस.बी.एन. पब्लिक स्कूल के पास, भवानीमण्डी, जिला झालावाड, हिस्सा 1/2	1637	0.63 हैक्टर	दक्षिणवर्ती
	योग	**किता 1**	**0.63 हैक्टर**	

निज ....x............ मुबालिक .... x .... बाबत ....x .... इस मुकदमा के मय सूद बारह .... x .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... x .... बाद करूंगा।

यह फाईनल डिक्री आज तारीख 24.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सरोज ढाका) R.A.S.

सहायक कलक्टर एवं

कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2. अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. अदर्शो के लिये स्टाम्प		3. प्लीडर के लिये फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5. साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6. कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

Scanned by CamScanner